भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2289
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

†2289. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने और किसानों की आय को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) इस संबंध में कुल निवेश, सृजित रोजगार की संख्या और घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ किए गए प्रौद्योगिकीय सहयोग सहित अनुमोदित और प्रचालित उच्च तकनीक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, विशेषकर स्टार्टअपों और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई योजनाओं, प्रोत्साहनों और निधि आवंटन का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास रोजगार और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए विशेषकर ग्रामीण युवाओं और महिला उद्यमियों के लिए उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या यह सच है कि अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण और लाइसेंसिंग में विलंब के कारण उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गति धीमी हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ) : उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

इन स्कीम का मकसद फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण है, जिसमें भंडारण,परिवहन ,मूल्य संवर्धन आदि शामिल हैं जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने ,उत्पादकता बढ़ाने, कृषि उपज की बर्बादी कम करने और कृषि से इतर रोज़गार अवसर के सृजन में सहायता मिलेगी ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अपनी अनुसंधान एवं विकास योजना के माध्यम से संबंधित मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) इकाइयों सहित शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

योजना के अनुसंधान और विकास घटक के अंतर्गत, निजी क्षेत्र में निजी संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/ अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50% और कठिन क्षेत्रों में 70% तक अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी, केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठनों को उत्पाद और प्रक्रिया विकास, उपकरणों के डिजाइन और विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग इत्यादि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग संचालित अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने और करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं उपकरणों की लागत, उपभोग्य सामग्रियों और रिसर्च फेलो इत्यादि से संबंधित व्यय के लिए 100% अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, एमओएफ़पीआई के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) कुंडली, हरियाणा और निफ्टेम, तंजावुर, तमिलनाडु भी इस सेक्टर में आर एंड डी गतिविधिओं में लगे हुए हैं।

पीएमकेएसवाई की आर एंड डी घटक योजना के अन्तर्गत 2016-17 से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमओएफ़पीआई द्वारा स्वीकृत आर एंड डी परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एमओएफ़पीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधम (एमएसएमई) सहित पात्र संस्थाओं को एमओएफ़पीआई सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ङ) और **(च) :** कभी-कभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को वैधानिक मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार से स्थापना की सहमति, संचालन की सहमति, भवन योजना की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन आदि में देरी की वजह से इनमें से कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हुई है।

एमओएफ़पीआई ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं (i) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; (ii) परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद के लिए प्रोमोटरों के साथ नियमित समीक्षा करना; (iii) परियोजनाओं के पूरा होने में देरी रोकने के लिए साइट विज़िट के ज़रिए परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना; (iv) परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण की स्वीकृति और संवितरण में तेज़ी लाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ मुद्दे उठाना; (v) परियोजनाओं के देर से पूरा होने पर प्रोमोटरों पर दण्ड का प्रावधान; (vi) एमओएफ़पीआई ने परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों के अनुरोध पर भी आसानी से और समय पर लागू करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग और उनकी एजेंसियों के साथ भी मामला उठाता है।

*****

अनुबंध

दिनांक12 फरवरी, 2026 को उत्तर हेतु" उच्च तकनीक वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2289 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की आर एंड डी घटक स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए उच्च तकनीक के क्षेत्र में स्वीकृत आर एंड डी परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना लागत (लाख में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (लाख में)	जारी अनुदान सहायता (लाख में)	स्थिति
1.	3-डी प्रिंटेड खाद्य: भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए पर्सनलाइज़्ड न्यूट्रिशन	निफ्टेम-तंजावुर	55.42	55.42	50.28	पूर्ण
2.	फलों और सब्जियों के लिए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के साथ एक्टिव इंटेलिजेंट पैकेजिंग सिस्टम का विकास	निफ्टेम-तंजावुर	53.04	53.04	45.94	पूर्ण
3.	उच्च मूल्य वाली मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए हॉट एयर असिस्टेड कंटीन्यूअस इन्फ्रारेड ड्राइंग सिस्टम का डिज़ाइन और विकास	आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन, केरल	27.02	27.02	25.02	पूर्ण
4	वेस्ट ऑफ वैल्थ बायोरिफाइनरी अप्रोच से ट्रॉपीकल फलों के बचे हुए हिस्से से न्यूट्रास्यूटिकल (पॉलीफेनोल्स) निकालना	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीक संस्थान, नागपुर	32.79	32.79	32.79	पूर्ण
5.	मोनास्कस पूरपुरेउस सीएफ़आर 410-11 फर्मेंटेड काऊपी टोफू फंक्शनल फूड के तौर पर	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर	24.90	24.90	23.23	पूर्ण
6.	एग्री-फूड सप्लाई चेन के लिए ब्लॉकचेन-बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशन का विकास	निफ्टेम, कुंडली , सोनीपत , हरियाणा	18.73	18.731	16.19	पूर्ण
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के पोमेलो फल की फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग और वैलोराइजेशन	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम	41.48	41.48	36.68	पूर्ण

*****